रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 1979/वैशाख 5, 1901
No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 1979/VAISAKHA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 95/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) परन्तुक में, खण्ड (2) का लोप किया जाएगा और खण्ड (3) की खंड (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(ख) सारणी में, क्रम सं. 8 के सामने, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"इस्पात के बिल्लेट, तार और छड़ें" ।

[176/79/फा. सं. बजट 103/2 और 17/79-टी. आर. यू.]

टी. आर. रस्तगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 95/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification,—

(a) in the proviso, clause (ii) shall be omitted and clause (iii) shall be re-numbered as clause (ii) ;

(b) in the Table, for the entry in column (3) against Serial No. 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"Steel billets, wires and wire rods".

[176/79/F. No. B. 103/2 & 17/79-TRU.]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 197*